निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 147/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

मदन लाल पुत्र श्री श्योनारायण जाति जाट निवासी ग्राम निमोडिया, तहसील चाकसू, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी चाकसू पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार रिणवा आर॰ए॰एस॰ ।
2. कमलेश पुत्र श्री गेंदीलाल
3. श्रीमती कमला पत्नी श्री रामरख
4. गन्ना पुत्र भूरा

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम निमोडिया, तहसील चाकसू, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष लम्बित प्रकरण संख्या 54/2022 व उनवानी कमलेश बनाम बाबूलाल व अन्य को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री आर॰पी शर्मा एवं श्री वृजेश पारीक अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री हेमराज अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 27.09.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष प्रकरण संख्या 54/2022 व उनवानी कमलेश बनाम बाबूलाल व अन्य विचाराधीन है। जिसमें प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी चाकसू से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 की ओर से अधिवक्ता श्री हेमराज उपस्थित है।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित भूमि के संबंध में माननीय सिविल न्यायाधीश क्रम 19 जयपुर महानगर प्रथम चाकसू के यहां दिनांक 16.05.2022 को आदेश पारित किये हुये है तथा तहसीलदार चाकसू को उक्त मामले में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया हुआ है, इसके बावजूद भी तहसीलदार चाकसू

जिला कलक्टर
जयपुर

एवं अप्राथी संख्या एक एस॰डी॰एम॰ चाकसू राजनीतिक दबाव में अप्रार्थीगण से मिलीभगत कर गुण्डाराज कायम करते हुए बेवजह ही मामले को येनकेन प्रकारेण निस्तारण करवाने पर आमादा है। जबकि मामले में प्रार्थीगण को जवाब हेतु अवसर भी नहीं दिया जारहा है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लम्बित प्रकरण में दिनांक 01.09.2022 तारीख पेशी नियत होने के बावजूद शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि उक्त तारीख पेशी अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 के अधिवक्ता ने अपनी मर्जी से ली है। प्रार्थीगण को उक्त तारीख पेशी अंकित करवाने का कोई उद्देश्य नहीं रहा इसके बावजूद भी तहसीलदार व एस॰डी॰एम॰ चाकसू तथा मुकेश चौधरी व्याख्याता जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय चाकसू में कार्यरत है, उनके साथ दिनांक 04.07.2022 को चैम्बर में बैठ कर मामले को बिना किसी आधार के निपटाने के लिए कह रहे है तथा प्रार्थीगण पर मामले को निपटाने हेतु जबरन दबाव बना रहे है। जबकि विवादित भूमि के संबंध में सिविल न्यायालय के अतिरिक्त उपखण्ड अधिकारी चाकसू के यहां वाद संख्या 157/2022 उनवानी मदन लाल बनाम बाबूलाल व अन्य के नाम से दावा प्रस्तुत है तथा टी॰ आई॰ प्रार्थना पत्र में दिनांक 24.06.2022 को रिकर्ड व मौके की यथास्थिति हेतु रटे आदेश जारी है। जो कि आज भी पूर्णरूप से प्रभावी है। धारा 251 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत फिरकल प्रोसीडिंग है। पक्षकारान के हक हकूकों का निर्णय नियमित वाद में होना है ऐसी सूरत मे बिना किसी कानूनी आधार के अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की भूमि में जबरन रास्ता लेने का कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है ना ही उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई कानूनी आशय है। ऐसी सूरत में प्रार्थना पत्र का निस्तारण नियमित वाद लम्बित रहने तक स्थगित किया जाना कानूनी लाजमी है। उक्त घटना कम के अनुसार प्रार्थी को पूर्ण अंदेशा हो गया है कि उपखण्ड अधिकारी चाकसू तथा तहसीलदार चाकसू आपस में मिले हुए है तथा अप्रार्थीण से मिलीभगत करते हुए राजनीतिक पहुंच का फायदा उठाते हुए बिना किसी कानूनी आधार के विवादित भूमि में रास्ते की कार्यवाही को अंजाम दे रहे है तथा अप्रार्थीगण के साथ मुकेश चौधरी पुत्र ब्रदीनारायण चौधरी निवासी निमोडिया, जो कि खुले आम ऐलानिया धमकी दे रहे है कि हमारी पीठासीन अधिकारियों से बातचीत हो गई है। अब किसी भी सूरत में तुम्हारे पक्ष में फैसला नहीं होगा । ऐसी सूरत में प्रार्थी को पूर्ण अन्देशा हो गया है कि पीठासीन अधिकारी से प्राथी को न्याय प्राप्त नही होगा तथा भविष्य में भी न्याय मिलने की कोई उम्मीद शेष नही रही है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लम्बित प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना कानूनन आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष धारा 251(ए) टिनेन्सी एक्ट का प्रार्थना पत्र विचाराधीन है। प्रकरण अभी जबाब में नियत है। सरकार व अप्रार्थीगण का जबाव पेश किया जाना है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष विचाराधीन

जिला कलक्टर
जयपुर

प्रार्थना पत्र धारा 251 (ए) टीनेन्सी एक्ट का ऐन केन प्रकारेण निर्णय नहीं हो तथा पत्रावली लम्बित चलती रहे, इस उद्देश्य से प्रार्थी अकेले ने यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जबकि प्रार्थी प्रतिवादी के साथ प्रतिवादी संख्या 1, 3, व 5 और भी पक्षकार है, उनको किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं रही और उनकी ओर से कोई स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिये मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. उपखण्ड अधिकारी चाकसू ने अपनी टिप्पणी में आरोपों का खण्डन करते हुये पत्रावली जवाब में नियत होने का कथन किया है। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष विचाराधीन है और प्रार्थी ने तहसीलदार चाकसू के विरूद्व भी आरोप लगाये है। प्रार्थी ने जो आरोप लगाये है उनके सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष लम्बित प्रकरण में प्रार्थी प्रतिवादी के अलावा अन्य प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 4 और है जिन्होंन पीठासीन अधिकारी से किसी प्रकार की शंका जाहिर नहीं की है। इसलिए प्रार्थी के कथन को बल नहीं मिलता है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं उपखण्ड अधिकारी चाकसू से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 27.09.2022 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलेक्टर
जयपुर